महोबा पुलिस

दिनांक- 02.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 03/26

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार व रि0का0 शिवम यादव द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त राधे रैकवार पुत्र प्रताप रैकवार (उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम बुधवारा, थाना अजनर, जनपद महोबा) को CP No. 7084/22, अ0सं0 18/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में आज दिनांक 02.05.2026 को ग्राम बुधवारा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी थाना अजनर महोबा
2. का0 नरेन्द्र कुमार, थाना अजनर महोबा
3. रि0का0 शिवम यादव थाना अजनर महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त:

राधे रैकवार पुत्र प्रताप रैकवार, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम बुधवारा, थाना अजनर, जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-अजनर

मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से दम्पत्ति विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान, काउंसलिंग उपरांत साथ रहने पर सहमति।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।
- आज दिनांक 02/05/2026 को आवेदिका श्रीमती रेशमा पत्नी सुनील अहिरवार निवासी ग्राम अजनर, थाना अजनर जनपद महोबा द्वारा अपने पति सुनील के विरुद्ध शराब के नशे में गाली-गलौज एवं मारपीट करने संबंधी शिकायत की गई थी।
- प्राप्त सूचना के क्रम में दोनों पति-पत्नी को थाना अजनर बुलाकर मिशन शक्ति केन्द्र में सम्मानपूर्वक बैठाकर काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया।
- काउंसलिंग के उपरांत दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से प्रेमपूर्वक साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। विपक्षी सुनील द्वारा भविष्य में इस प्रकार की गलती न दोहराने का आश्वासन दिया गया।
- आवेदिका द्वारा आपसी समझौता कर लिखित तहरीर प्रस्तुत की गई तथा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही न करने की बात कही गई, जिसे रोजनामचा में दाखिल किया गया।
- तत्पश्चात आवेदिका को उसके पति सुनील के साथ थाना हाजा से ससम्मान रुखसत किया गया।
- उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल एवं पारिवारिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

दिनांक- 02.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 05/26

महोबा पुलिस

सर्किल- कुलपहाड़, थाना-महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शंशाक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त अभियान के तहत उ0नि0 अजय प्रताप सिंह द्वारा अपने देखभाल क्षेत्र में रोकथाम जुर्म-जरायम एवं वाँछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मु0अ0सं0- 51/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की गई। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त बृगभान अनुरागी पुत्र हरिश्चन्द्र अनुरागी, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम बसरिया, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा को यात्री प्रतीक्षालय धवार मोड़ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा
2. म0उ0नि0 दीक्षा थाना महोबकंठ, जनपद महोबा
3. रि0का0 सुशान्त पाल थाना महोबकंठ, जनपद महोबा

अपराध विवरणः

मु0अ0सं0- 51/2026, धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा

अभियुक्त विवरणः

बृगभान अनुरागी पुत्र हरिश्चन्द्र अनुरागी, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम बसरिया, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।

दिनांक- 02.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 06/26

महोबा पुलिस

सर्किल- सदर, थाना-कोतवाली नगर

मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से वर्ष 2025 की गुमशुदा युवती बरामद, काउंसलिंग उपरांत पति के साथ भेजा गया।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- गुमशुदगी नं0 83/25 से संबंधित गुमशुदा नेहा पुत्री उदितनारायण कोरी उम्र लगभग 21 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को सकुशल बरामद किया गया। बरामदगी के उपरांत गुमशुदा के पिता उदितनारायण कोरी को सूचना दी गई, जिस पर वह थाना कोतवाली नगर उपस्थित आए।
- तत्पश्चात मिशन शक्ति केन्द्र की पहल के तहत गुमशुदा नेहा की काउंसलिंग कर उसका बयान अंकित किया गया। काउंसलिंग के दौरान नेहा द्वारा बताया गया कि उसने अपनी इच्छा से शिवनारायण पुत्र देवीदीन यादव उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के साथ विवाह कर लिया है। उसने अपने पति के साथ ही रहने की इच्छा व्यक्त की।
- गुमशुदा नेहा को उसकी इच्छानुसार उसके पति शिवनारायण के साथ थाना हाजा से सकुशल एवं सम्मानपूर्वक रुखसत किया गया।
- उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना-चरखारी

दिनांक- 02.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 07/26

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफऱ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 सतीराम मय हमराह हे0कां0 महेन्द्र पाल व कां0 अजय यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त विकास पुत्र जयपाल यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये कस्बा व थाना चरखारी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

विकास पुत्र जयपाल यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 सतीराम
2.हे0कां0 महेन्द्र पाल 3.कां0 अजय यादव

दिनांक- 02.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 08/26

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना-चरखारी

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी में आयोजित समीक्षा बैठक– विवेचना निस्तारण, अपराध नियंत्रण पर सख्त निर्देश, रिक्रूट आरक्षियों से संवाद...।

आज दिनांक 02.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना चरखारी का भ्रमण कर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना स्तर पर संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान Yaksha App के प्रभावी उपयोग, अपराधियों के Criminal Verification, डिजिटल साक्ष्य संकलन हेतु e-Sakshya के समुचित प्रयोग, विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण (60/90 दिवस के भीतर), अपराध की रोकथाम (Prevention of Crime) एवं लबित NBW (गैर जमानती वारंट) की शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित किए जाने के संबंध में विशेष बल दिया गया। प्रत्येक बिंदु की प्रगति का विस्तृत अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि अपराधियों की प्रभावी निगरानी एवं सत्यापन की कार्यवाही सतत रूप से की जाए तथा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर लबित NBW की तामीली शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अपराध की रोकथाम हेतु सवेदनशील स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए आवश्यक पुलिसिंग कार्यवाही को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।

इसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा थाना परिसर में नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के साथ संवाद स्थापित किया गया। संवाद के दौरान उन्हें पुलिस सेवा के मूल कर्तव्यों, अनुशासन, जनसंपर्क, टीम वर्क एवं आमजन के प्रति सवेदनशील व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा ईमानदारी, सतर्कता एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत प्रमुख मार्गों, बाजारों एवं सवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। गश्त के दौरान स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा क्षेत्र में कानून एवं शाति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनपद पुलिस महोबा द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।